कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 163 / प्रवा0कले0 / 2020 रीवा दिनांक 23 मार्च 2020

:आदेश:

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

सर्वसाधारण की जानकारी में यह लाना आवश्यक हो गया है कि दिसम्बर 2019 में चीन के वुहान प्रांत में कोरोना वायरस (COVID-19) का संक्रमण प्रारम्भ हुआ जो अब 150 से अधिक देशों में फैल चुका है। दिनांक 31.01.2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा कोरोना वायरस को Public Health Emergency of International Concern होने से महामारी (Pandemic) घोषित किया गया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र कमांक एफ 10–02 / 2020 / सत्रह / मेडी–2 दिनांक 07 मार्च 2020 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अन्तर्गत नोवेल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र कमांक 38(बी) / ए.सी.एस. / जी.ए.डी. / 2020 भोपाल दिनांक 22.03.2020 में नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आवश्यक निरोधक हेतु निर्देशित किया गया है। इस संबंध में पारित पूर्व आदेश कमांक 161 / प्रवा0कले0 / 2020 रीवा दिनांक 21 मार्च 2020 को अधिकमित कर आज दिनांक को नवीन आदेश पारित किया जा रहा है।

नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के उपबंध के परिपेक्ष्य में जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से रीवा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में, मैं बसंत कुर्रे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रीवा, दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) में निहित शक्तियों का उपयोग कर निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करता हूँः– जो कि दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक के लिए फिलहाल लागू रहेगा।

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

1. रेल अथवा सड़क मार्ग से रीवा जिले में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों संबंधी–

1. रीवा जिले में तत्काल प्रभाव से पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया जाता है। जिले की सभी सीमाएँ सील की जाती है। किसी भी माध्यम सड़क अथवा रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है। साथ ही जिले में निवासरत सभी नागरिकों को जिले से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को मुख्यतः चिकित्सकीय कारणों अथवा आपातकालीन कारणों से बाहर निकलना या जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से अनुमति पत्र प्राप्त करेंगें। रीवा जिले की सीमा के बाहर के स्थानों से आने वाले व्यक्तियों की जांच चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जाएगी। संकमण की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड या अन्य किसी स्थल पर यात्रियों के आवागमन को देखते हुए चिकित्सीय जांच की व्यवस्था प्रारम्भ की गई तो प्रत्येक व्यक्ति यात्री को चिकित्सीय जांच कराना अनिवार्य होगा।
2. कोविद 19 वायरस से संक्रमित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिससे संक्रमण के लक्षण नजर आते है वह अपना सम्पूर्ण पता चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराएगा एवं चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करायेगा एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार निश्चित समय एवं स्थान पर चिकित्सीय परीक्षण हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

क्र0पृ0उ0

Scanned by CamScanner

3. कोरोना संक्रमण से प्रभावित देश, राज्य अथवा प्रदेश के अन्य जिलों से आ रहे व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन अनुसार चिकित्सीय व्यवस्था एवं समस्त निर्देशों का पालन करना होगा। सम्भावित संक्रमण के सिलसिले को तोड़ने हेतु अपने निवास स्थलों पर Home Quarantine में रखे गए व्यक्तियों को सम्पूर्ण क्वॉरेंटाइन अवधि तक निवास अपने निवास स्थल पर करना अनिवार्य होगा। Quarantine अवधि में चिकित्सीय परामर्श का पालन करना होगा।
4. कोरोना प्रभावित देश, राज्य अथवा प्रदेश के अन्य जिलों से आ रहे व्यक्तियों को कोरोना संक्रमण की स्क्रीनिंग/जांच की जानकारी दिनांक 24.03.2020 की शाम 5.00 बजे तक कंट्रोल रूम के इस नम्बर 07662–226888 पर उपलब्ध करानी होगी।
5. समस्त, बस, ऑटो सेवाओं/संचालन को दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक पूर्णतः बन्द किया जाता है। साथ ही निजी वाहन का उपयोग भी उक्त अवधि में न किये जाने की सलाह दी जाती।

2. शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय/व्यावसायिक/उद्योग आदि प्रतिष्ठानों के संबंध में–

1. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक 38बी/ ए.सी.एस./जीएडी दिनांक 22.03.2020 अनुसार रीवा जिले में स्थित मध्यप्रदेश शासन के समस्त शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमले को अस्थाई रूप से दिनांक 31.03.2020 तक अपना कार्यालयीन कार्य अपने निवास स्थान से सम्पादित करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।
2. परन्तु किसी भी तात्कालिक आवश्यता की स्थिति में अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास से कार्यालय में शासकीय कार्य के लिए आहूत किया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपने मोबाइल नम्बर एवं निवास का पता कार्यालय में तथा कार्यालय संस्था प्रमुख को तत्काल प्रदान करेगें। यह भी आदेशित किया जाता है कि तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश उपरांत संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यस्थल अथवा जैसा कि निर्देशित किया जाए उपस्थिति दर्ज कराना होगा।
3. समस्त निजी संस्थान, कार्यालय या निजी क्षेत्र में समस्त प्रतिष्ठान उल्लेखित अवधि तक बन्द रहेंगे।

3. आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता है–

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

1. विधि व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी/कर्मी, पुलिस, स्वास्थ्य (निजी एवं शासकीय चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी), अग्निशमन सेवा, राशन दुकान, रेल, एवं बस अड्डा, पेयजल आपूति एवं बिजली विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगर सैनिक/होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अधिमान्य पत्रकार, डाक सेवाए (पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा)
2. ए.टी.एम पूर्व की तरफ संचालित रहेंगे।

कृ०प०उ०

Scanned by CamScanner

4. **दैनिक जीवन उपयोग संबंधी आवश्यक वस्तु/सेवा के निर्देश–** आमजन की सुविधा हेतु यथासम्भव दैनिक जीवन उपयोग संबंधी निम्नानुसार आवश्यक वस्तु/सेवा को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा जाता है–

1. खाद्य पदार्थ, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति।
2. हॉस्पिटल, दवा दुकान, चश्मे की दुकान।
3. पेट्रोल, डीजल पम्प एवं एलपीजी/सीएनजी गैस पम्प।
4. होम/टिफिन पार्सल सेवाएँ।
5. उत्पादन एवं निर्माण इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रकिया की आवश्यकता होती है, खाद्य पदार्थ निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, दवा/फार्मा, मास्क, सेनेटाईजर निर्माण की ईकाईयां अथवा अन्य अत्यंत आवश्यक निर्माण ईकाईयां (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एमपीआईसी डीसी की अनुशंसा के आधार पर) संचालित रह सकते है। परन्तु उक्त इकाइयों को भी कार्य संचालन के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।

5. **जिले की सीमा में स्थित किसी भी तरह के सार्वजनिक स्थल के संबंध में निर्देश –**

1. समस्त पार्क, मनोरंजन स्थल आदि सभी बन्द रहेंगें।
2. सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, साप्ताहिक हाट बाजार आदि सम्पूर्ण गतिविधियां बन्द रहेंगी।
3. सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बन्द रहेंगे।
4. सभी पर्यटन स्थल पूर्णतः बन्द रहेंगे।
5. समस्त वाचनालय, वॉटर पार्क, जिम्नेशियम, मैरिज हॉल/गार्डन बंद रहेगें।
6. समस्त सिनेमा हॉल बंद रहेगें।
7. समस्त मॉल एवं मॉल में संचालित समस्त दुकाने/आउटलेट/शोरूम आदि दिनांक 31 मार्च 2020 तक बन्द रहेंगे। परन्तु यह प्रतिबंध ग्रॉसरी/किराना स्टोर, पीडीएस दुकाने, फल, सब्जी आदि लागू नही होगा। उक्त संस्थायें साफ सफाई की उपयुक्त व्यवस्था का पालन करने की शर्त पर संचालित किए जा सकेगें।
8. आवश्यक वस्तुओं को कय करने हेतु केवल परिवार के एक व्यक्ति को अनुमति ही रहेगी। उपरोक्त अवधि में दुकानो पर पर्याप्त सेनेटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे एवं न्यूनतम एक मीटर की सुरक्षा दूरी के प्रावधानो का अनुपालन आवश्यक होगा।

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

6. **स्कूल, आंगनवाड़ी, कॉलेज अथवा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों संबंधी संस्था हेतु निर्देश–**

1. मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र कमांक Q/60/20/2012 दिनांक 15.03.2020 में दिए गए निर्देश अनुसार जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय में दिनांक 31 मार्च 2020 तक अवकाश रहेगा।
2. मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक 574/597/20220/38-3 भोपाल दिनांक 20.03.2020 में दिए गए निर्देश अनुसार जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय/महाविद्यालय में आगामी आदेश तक परीक्षायें स्थगित रहेगी।
3. संचनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पत्र कमांक आईसीडीएस/4354

कृ0प0उ0

Scanned by CamScanner

दिनांक 14.03.2020 में दिए गए निर्देश अनुसार जिले के समस्त आंगनवाडी केंद्र तथा मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को 31 मार्च 2020 तक के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द रखा जाएगा।

4. समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग क्लासेस/सेंटर भी दिनांक 31 मार्च 2020 तक बन्द रखे जाए।
5. समस्त प्रकार की हॉबी क्लासेस, समर क्लासेस, डांस, ग्रूमिंग क्लासेस अथवा इसी प्रयोजन से संबंधित समस्त हॉबी क्लासेस/वर्कशॉप आदि भी दिनांक 31 मार्च 2020 तक स्थगित किए जाएं।

7. लोक/निजी परिवहन एवं अन्य आवश्यक वस्तु/सेवाओं के परिवहन संबंधी निर्देश–

1. Covid-19 वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु सर्वश्रेष्ठ उपाय सामाजिक अलगाव (Social Distancing) ही है परन्तु लोक परिवहन में सामाजिक अलगाव की शून्य सम्भावना को ध्यान में रखते हुए टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई–रिक्शा, बस, अथवा किसी भी अन्य प्रकार के लोक परिवहन के साधन के संचालन सहित समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण रोक रहेगी। निजी वाहनों का उपयोग भी दिनांक 31.03.2020 तक की अवधि के लिए उपयोग में न लाए जाने की सलाह दी जाती है।
2. परन्तु किसी चिकित्सा कारण, मेडिकल इमरजेंसी अथवा स्वास्थ्य संबंधी कारणों की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए शासकीय अथवा निजी अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इस प्रतिबंध से बाहर रखा जाएगा।
3. बैंक अथवा एटीएम में नगद सप्लाय कर रहे वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
4. खाद्य पदार्थ, दवा, मेडिकल उपकरण एवं किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं संब्जी के परिवहन इस प्रतिबंध में मुक्त रहेंगें।
5. पेट्रोल डीजल पम्प एवं एलपीजी सीएनजी गैस के परिवहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

8. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र कमांक 36 प्र.स./स्वा/सत्रह/ मेडि–तीन दिनांक 15.03.2020, विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 13.03.2020 अनुसार जारी निर्देश, दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के उपबंध एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 उपबंध अन्तर्गत अन्य प्रतिबंधित इस प्रकार होंगे:–

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

1. कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दिनांक 31 मार्च 2020 तक बन्द रखी जाए।
2. आधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षण तथा सार्वजनिक समारोह दिनांक 31 मार्च 2020 तक स्थगित रहेंगें।
3. समस्त आयोजन, धरना, जूलुस, रैली, ज्ञापन आदि आयोजन/जमावडा या जिले की सीमा अन्तर्गत किसी भी स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
4. इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, सोशल मीडिया अथवा प्रचार प्रसार के किसी भी साधन का उपयोग कर गलत/भ्रामक/अपुष्ट सूचना, संदेश, पोस्ट, ट्वीट ब्लॉग इत्यादि करने अथवा फारवर्ड करना भी प्रतिबंधित किया जाता है। कोरोना वायरस को लेकर गलत सूचना देने वाले, कोरोना वायरस से पीड़ित होने वाले व्यक्ति की सूचना नहीं देना या छुपाना, सोशल मीडिया से भ्रामक जानकारी देने वाले व्यक्तियों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

कृ0प0उ0

Scanned by CamScanner

5. अगर किसी व्यक्ति की जिले से बाहर निकलना है या जिले के बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक है, तो संबंधित थाना क्षेत्र से अनुमति पास प्राप्त करेंगे।

9. कोरोना वायरस के कारण हेंड सेनेटाईजर एवं मास्क की उपलब्धता के संबंध में–

1. भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 13 मार्च 2020 के द्वारा केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 2(ग) की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई) सर्जिकल मास्क एवं 95 मास्क और हेंड सेनेटाईजर को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया है। अतः 2 प्लाई, 3प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क एवं हेंड सेनेटईजर में उल्लेखित अधिकतम खुदरा बिकी से अधिक दामों में बिकी न की जाए।

10. रीवा जिले में स्थित समस्त शासकीय/निजी क्लीनिक/चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवायजरी का पालन करेंगें। कोरोना वायरस को लेकर जारी प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करेंगें।
11. 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों का घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया जाता है। केवल इलाज हेतु ही उक्त व्यक्तियों एवं बच्चों को घर से बाहर निकलने की इजाजत होगी।
12. जहां कही भी किसी कार्य के लिए लाईन में जाना जरूरी हो, वहाँ लाईन में लगे व्यक्तियों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रखी जावे।

चूंकि यह आदेश जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है तथा इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व इससे संबंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सके। यह आदेश दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा। यह आदेश दिनांक 23 मार्च 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 24 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक प्रभावशील रहेगा तथा आवश्यकता अनुसार उक्त अवधि में संशोधन किया जा सकेगा। उक्त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी
जिला रीवा (म.प्र.)

23.3.2020
(बसंत कुर्रे)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला रीवा (म0प्र0)

क्0प0उ0

Scanned by CamScanner

क्रमांक 163/प्रवा.कले./2020 रीवा, दिनांक 23 मार्च, 2020

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
6. कमिश्नर, रीवा सम्भाग, रीवा की ओर सूचनार्थ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा।
10. पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करावें। तथा समस्त थाना प्रभारियों को भी उक्त आदेश का पालन किये जाने हेतु निर्देशत किया जावे।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. अपर जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा।
13. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ कार्यवाही हेतु।
15. अनुविभागीय दण्डाधिकारी.(समस्त) तहसील....................की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास रीवा।
17. जिला अपूर्ति अधिकारी, जिला रीवा।
18. नगर पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
19. स्टेनो/टू कलेक्टर/अपर कलेक्टर, रीवा।
20. सहायक संचालक, जन सम्पर्क रीवा की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला रीवा (म0प्र0)

Scanned by CamScanner